न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./76/2020/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
मालाराम पुत्र भूराराम, जाट निवासी पनोणी जोणियों की ढाणी, पटवार क्षैत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाला बालोतरा।	1. हेमाराम पुत्र मंगनाराम 2. ठाकराराम पुत्र मंगनाराम 3. चुन्नीदेवी पत्नी मंगनाराम 4. केहरारम पुत्र गोरधनराम 5. गवरी पत्नी गोरधनराम 6. डूंगराराम पुत्र मेहराराम 7. बालाराम पुत्र मेहराराम 8. चुनाराम पुत्र मेहराराम 9. हिमथाराम पुत्र मेहराराम 10. लाछीदेवी पत्नी मेहराराम 11. देराजराम गोद पुत्र तीजो, जाति जाट, निवासी पनोणी जोणियों की ढाणी, पटवार क्षेत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। 12. कुम्भाराम पुत्र भूराराम 13. हुकमाराम पुत्र भूराराम 14. रामूदेवी पत्नी भूराराम 15. हिमथाराम पुत्र कुशलाराम 16. ईन्दाराम पुत्र कुशलाराम 17. सुरताराम पुत्र कुशलाराम 18. किरताराम पुत्र कुशलाराम 19. पैलादराम पुत्र कुशलाराम 20. भूराराम पुत्र सोनाराम 21. जुगताराम पुत्र सोनाराम 22. कसुम्बी पत्नी राहिंगाराम 23. पतूराम पुत्र राहिंगाराम, जाति जाट, निवासी पनोणी जोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी तहसील बायतु, जिला बाड़मेर हाल बालोतरा। 24. शाखा प्रबंधक, एस.बी.आई., शाखा बायतु। 25. शाखा प्रबंधक, बी.सी.बी.सी., शाखा बायतु। 26. शाखा प्रबंधक, पी.एन.बी., शाखा बायतु।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	27. शाखा प्रबंधक, ओ.बी.सी., शाखा बायतु। 28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बायतु।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2019 बउनवान हेमाराम बनाम कुम्भाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—20.11.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पों. संख्या 01 से 11/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा पनोणी जोणियों की ढाणी, पटवार क्षैत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु के खसरा संख्या 850, 852, 889, 1105, 1117, 1123 रकबा क्रमशः 00.15, 165.09, 64.04, 58.15, 51.18, 126.02, 17.06 बीघा कुल रकबा 484.09 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 की भूमि आई हुई है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित। वकील अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा अंतिम बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया रेस्पों. संख्या 01 से 11/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा

(...)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पनोणी जोणियों की ढाणी, पटवार क्षैत्र नगोणी धतरवालों की ढाणी, तहसील बायतु के खसरा संख्या 850, 852, 889, 1105, 1117, 1123 रकबा क्रमशः 00.15, 165.09, 64.04, 58.15, 51.18, 126.02, 17.06 बीघा कुल रकबा 484.09 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 13 भूमि आई हुई है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व सिविल प्रक्रिया के वाद निस्तारण के प्रावधानों, नेचुरल जस्टिस (सुने जाने का अधिकार) को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए पारित किया गया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित नोटिस कभी भी व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुए ना ही डाक द्वारा प्रेषित सम्मन अपीलांट को तामील हुए। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट की विधिवत तामील करवाये बिना ही अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 09.09.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.10.2020 को पारित कर दिया जो विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। जो अपीलांट के हितों पर कुठाराघात है। क्योंकि अपीलांट्स के जन्म से प्राप्त पैतृक हितों पर कुठाराघात करते हुए राजस्व रेकार्ड पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि से विपरीत है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट सुरक्षा बल एस.एस.बी. में कार्यरत है। अपीलांट को हस्तगत प्रकरण के संबंध में किसी प्रकार की कोई विधिक सूचना प्रदान नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। उक्त समस्त तथ्यों के अनुसार अपीलाधीन निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले–बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अवलोकन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया गया है। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में वादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित नहीं किया गया है। मौका देखने से पूर्व उभयपक्ष को सूचित करते हुए उभयपक्ष की उपस्थिति में मौका देखा जाना आज्ञापक था, जिसका हस्तगत प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। अपीलाधीन निर्णय में उक्त सिद्धान्तों के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की विधिक तामील के अभाव में तनकीयात कायम किये बिना ही पारित किया गया है, जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है। विधि अनुसार सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने–अपने हिस्से एवं कब्जे–काश्त अनुसार बराबर–बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों को अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 80/2019 बउनवान हेमाराम बनाम कुम्भाराम वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.10.2020 को विधि की पूर्ण पालना के अभाव में अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने–अपने कब्जे–काश्त अनुसार बाई

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

20/11/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी,
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर